AMAR UJALA, Lucknow, 19.10.2018
Page No. 1, Size:(9.90)cms X (13.53)cms.

आधार से बैंकों के भुगतान जारी रखने को हरी झंडी

नई दिल्ली। विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बैंकों को आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) के जरिए भुगतान की सेवाओं को जारी रखने को कहा है। प्राधिकरण ने आधार अधिनियम का हवाला देते हुए एईपीएस के उपयोग को हरी झंडी दी है। यूआईडीएआई ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार पर दिए गए फैसले पर कानूनी सलाह लेने के बाद लिया है। फैसले में न्यायपालिका ने बैंकों द्वारा आधार का प्रयोग नहीं किए जाने का आदेश जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी सलाह लेने के बाद बैंकों को जारी किया निर्देश

यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडेय ने कहा कि एईपीएस के जरिए सरकारी लाभ और छूट की राशि सीधे लाभार्थियों के हाथों में पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके जरिए सेंधमारी करने वालों और बीच में पैसा खाने वालों पर लगाम लगेगी। प्राधिकरण ने कहा है कि इस माध्यम के जरिये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के तहत आधार का प्रयोग मान्य है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आधार का उपयोग डीबीटी में किया जा सकता है। ब्यूरो